(१)

संख्या-17/2016/116 बीपी/35-1-2016

प्रेषक,

जे0बी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 14 जून, 2016

विषय- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या- 35बीपी(1)/35-1-2014, दिनांक 04 मार्च, 2014 के माध्यम से बकरी इकाइयों की स्थापना परियोजना की रू0 8.33 करोड (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रू. 7.50 करोड, लाभार्थी अंश रू. 0.83 करोड) करोड़ की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 35.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 25.00 लाख की धनराशि व्यय की गई और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या 108 बीपी/35-1-2014, दिनांक 08 मई, 2014 द्वारा स्वीकृत परियोजना हेतु रू. 10.00 लाख तथा शासनादेश संख्या 298 बीपी/35-1-2014, दिनांक 26 नवम्बर, 2014 द्वारा रू. 1.94 करोड़ अर्थात वर्ष 2014-15 में कुल 2.04 करोड करोड की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू0 1.76 करोड की धनराशि व्यय की गयी और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या: 25/2015/105बीपी/35-1-2015, दिनांक 03 जून, 2015 द्वारा परियोजना हेतु रू. 0.28 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग दवारा रू 0.27 करोड की धनराशि व्यय की गयी और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। इस प्रकार वर्ष 2015-16 तक परियोजनान्तर्गत कुल मिलाकर रू. 2.28 करोड़ की अतिरिक्त सहायता धनराशि का व्यय कर ली गयी है। एतद्द्वारा परियोजना हेतु अनुमोदित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता लागत रू 7.50 करोड़ के सापेक्ष भारत सरकार से वर्ष 2015-16 में उपलब्ध हुई सहायता रू0 428.73 लाख (चार करोड़ अटठाइस लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

2- इस शासनादेश से अनुमोदित परियोजना के कार्यो हेतु अनुमोदित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि आवंटित की गई है।

3- कार्यो को मानकों के अनुरूप गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत में वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

4- लाभार्थी अंश के रूप में अपेक्षित धनराशि विभाग द्वारा समन्वय करते हुए जुटाई जायेगी।

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30

जून, 2017 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व पशुधन विभाग का होगा। तदनुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं-10– बकरी इकाइयों की स्थापना-27–सब्सिडी के नामें डाला जायेगा। उक्त लेखाशीर्षक में प्रश्नगत धनराशि अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-03- बुन्देलखण्ड विशेष योजनाएं-00-42- अन्य व्यय में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर स्वीकृत की गई है। आदेश यू.ओ. संख्या: 07बीके/35-1-2016, दिनांक 10 जून, 2016 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गई है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे.बी. सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–17/2016/116बीपी(1)/35-1-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
6. मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7. जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/चित्रकूट।
8. मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9. कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
10. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे.बी. सिंह)
विशेष सचिव।